कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक: 788/207 /आउशि/शा–5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 08 /10/2020

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– सत्र 2020–21 के अन्तर्गत सी.एल.सी. तृतीय चरण में प्रवेश प्रकिया हेतु निर्देश।

संदर्भ– 1. कार्यालय का पत्र क्र. 701/254/आउशि/शा–5'अ'/2020 दिनांक 22.09.2020

2. कार्यालय का पत्र क्र.738/254/आउशि/शा–5'अ'/2020 दिनांक 29.09.2020

––000––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सी.एल.सी. तृतीय चरण स्नातक स्तर दिनांक 09/10/2020 से एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 14/10/2020 से आयोजित है। सी.एल.सी तृतीय चरण के अन्तर्गत रिक्त सीटें ओपन श्रेणी की होंगी।

2. प्रथम चरण में आवंटन प्राप्त परन्तु प्रवेश नहीं लेने वाले आवेदक पुनः महाविद्यालय/पाठ्यक्रम का विकल्प (रिच्वाईस फिलिंग) कर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।

3. सी.एल.सी. प्रथम चरण में विकल्प देने वाले आवेदक जिन्हें प्रवेश नहीं मिला है अथवा प्रवेश सूची में नाम आने के पश्चात् प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया है, वे भी पुनः महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम का विकल्प (रिच्वाईस फिलिंग) कर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।

4. पंजीकृत एवं ऑनलाईन सत्यापित परन्तु प्रवेश से वंचित समस्त आवेदक महाविद्यालय/पाठ्यक्रम का विकल्प (रिच्वाईस फिलिंग) कर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।

5. 12 वी परीक्षा में पूरक तथा "रूक जाना नही" से उत्तीर्ण आवेदक पंजीयन एवं सत्यापन कराकर प्रवेश प्रकिया में सम्मिलित हो सकेंगे।

6. सी.एल.सी. तृतीय चरण के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर दिनांक 19.10.2020 को तथा स्नातकोत्तर स्तर पर दिनांक 24.10.2020 को प्रातः 11.00 बजे महाविद्यालयों की लॉगिन पर अद्यतन मेरिट सूची उपलब्ध रहेंगी। महाविद्यालय की प्रवेश समिति पाठ्यक्रमवार महाविद्यालय में रिक्त सीटों के आधार पर उपलब्ध मेरिट सूची में से प्रति दिवस मध्यान्ह 12.00 बजे आवेदकों की मेरिट सूची जारी/एक्टिव करेंगे।

7. आवेदक ई–प्रवेश पोर्टल पर अपने लॉगिन से विकल्प के महाविद्यालयों द्वारा एक्टिव किए गये पाठ्यक्रमों में से किसी एक का चयन कर दूसरे दिवस प्रातः 11.00 बजे तक ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान कर प्रवेश प्रकिया पूर्ण करेंगे। प्रातः 11.00 बजे तक प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं करने की दिशा में आवेदक का नाम मेरिट सूची से विलोपित होगा।

8. महाविद्यालय प्रतिदिन मध्यान्ह 12.00 बजे मेरिट सूची को अद्यतन करेंगे एवं जिन आवेदकों ने निर्धारित समय–सीमा में प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उनके स्थान पर मेरिट क्रम में नवीन आवेदकों को एक्टिव कर प्रवेश प्रकिया संचालित करेंगे।

9. प्रत्येक महाविद्यालय को ऑनलाईन प्रकिया से प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर महाविद्यालयवार मेरिट जारी की जाएगी। जारी मेरिट सूची का सूचना पटल पर प्रकाशन किया जाना है।

10. कोरोना (कोविड–19) के संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए सेनेटाईजेशन, शारीरिक दूरी आदि का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. सी.एल.सी. तृतीय चरण हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से सूचनाओं के प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अतः उपरोक्तानुसार प्रतिदिन मध्यान्ह 12.00 बजे ई–प्रवेश पोर्टल पर अपने लॉगिन से मेरिट में अद्यतन स्थिति का अवलोकन कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

8/10/20

(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांकः 789/207 /आउशि/शा–5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 08/10/2020

प्रतिलिपि–

1. स्टॉफ ऑफिसर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश ।
3. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
5. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,आई. टी. शाखा, उच्च शिखा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु ।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश